सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-108 / 2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

– 1 JAN 2018

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर, 2017~~

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्रांक–1090 दिनांक 09–05–2017 तथा पत्रांक–28382 दिनांक 21–10–2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तो के अधीन प्रदान किया गया है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
रूड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, 08 किमी0 देहरादून रोड़, पुहाना, रूड़की	बी0टैक0		2015–16 एवं 2016–17
	1- Civil Engg.	120	
	2- Computer Science & Engg.	120	
	3- Electrical & Electronics Engg.	60	
	4- Electrical Engg.	60	
	5- Electronics & Communication	60	
	6- Information Technology	60	
	7- Mechanical Engg.	120	
	एम0टैक0:–		
	1- Electrical Engg.	24	
	2- Production Eng.	24	
	3- Structural Engg. and Construction	18	
	एम0बी0ए0	60	
	एम0सी0ए0	60	

1. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेंगी और यदि इसमें कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान (व इस प्रकरण में शासन) के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।

4. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्था / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः........2 / –